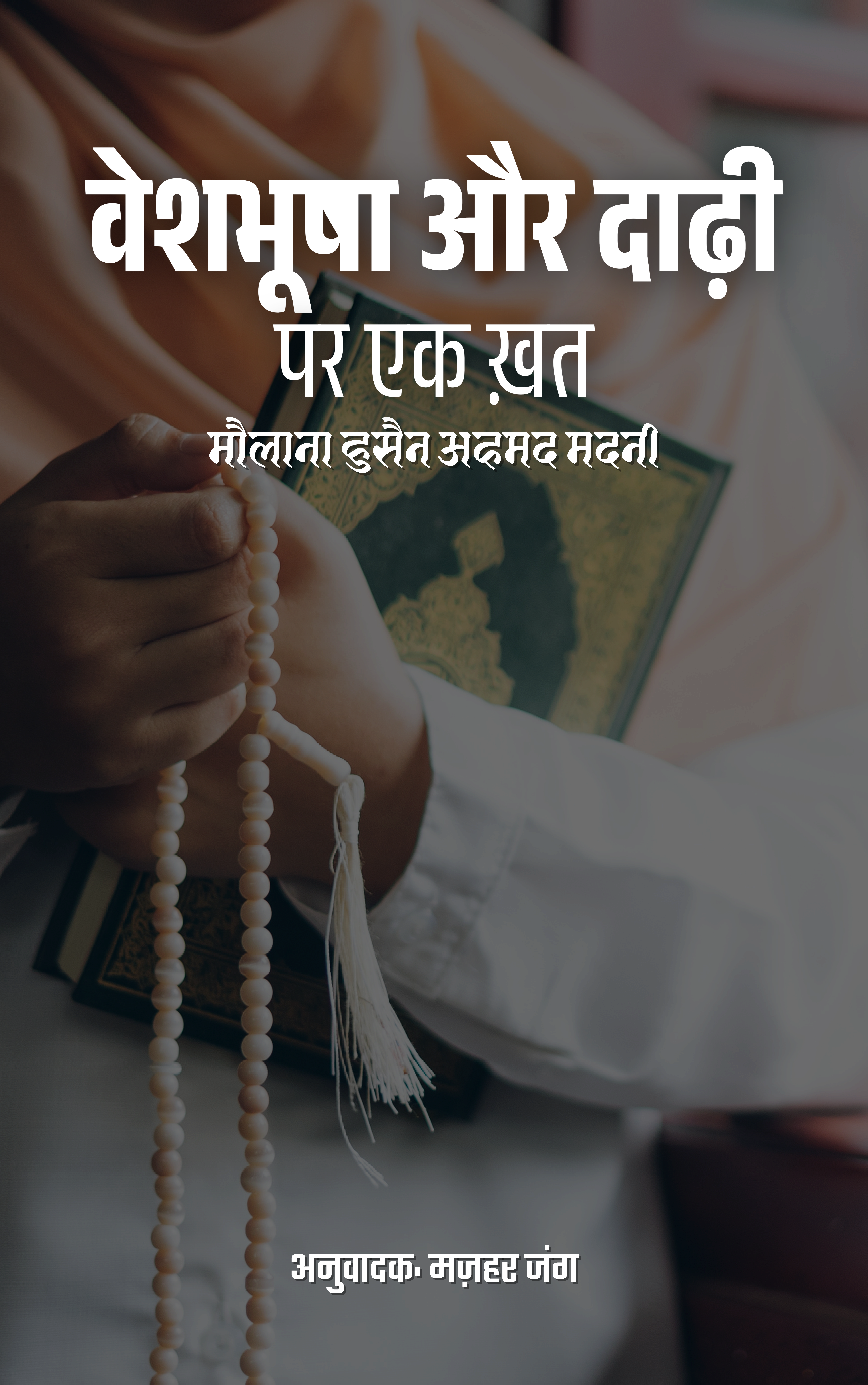


वेशभूषा और दाढ़ी

पर एक ख़त

मौलाना हुसैन अहमद मदनी

अनुवादक: मज़हर जंग

प्रस्तावना

पुस्तक **"वेशभूषा और दाढ़ी"** इस्लामी पहचान, संस्कृति और परंपराओं की गहराई को समझने का एक प्रयास है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी द्वारा लिखित यह छोटी पुस्तक पाठकों को यह समझने में मदद करती है कि वेशभूषा और दाढ़ी न केवल धार्मिक परंपरा हैं, बल्कि मुसलमानों की सांस्कृतिक और सामुदायिक पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

पुस्तक में यह समझाया गया है कि हर समुदाय और राष्ट्र अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए वर्दी और प्रतीकों का उपयोग करता है। लेखक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे वेशभूषा, झंडे, या शारीरिक विशेषताएँ किसी क़ौम की पहचान को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस्लाम के संदर्भ में, दाढ़ी बढ़ाने और मूंछें कतरने का आदेश इस बात का प्रतीक है कि मुसलमान अन्य समुदायों से अलग पहचान बनाए रखें।

यह पुस्तक इस्लामी परंपराओं को बनाए रखने के महत्व को हदीसों और ऐतिहासिक दृष्टांतों के आधार पर समझाती है। साथ ही यह भी बताती है कि जब कोई क़ौम अपनी वेशभूषा और रीति-रिवाजों को छोड़ देती है, तो उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हो जाती है।

मज़हर जंग
(कांधला)

जनाब माजिद साहब,

"अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहु"

आपका खत मेरे लिए बाइसे-सर्फ़राज़ी (सम्मान का कारण) है। हालांकि मैं इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, और ऊपर से कुछ बीमारियों का भी सामना कर रहा हूँ। आज तबियत थोड़ी संभली हुई है, तो मैंने सोचा कि आपके ख़त का जवाब दे दूँ। हालांकि पूरी बात को पेश करने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप एक अहम मुद्दे पर ग़ौर फ़रमाएँ।

(अ) हर शासन प्रणाली और सियासी व्यवस्था में अलग-अलग विभागों के लिए कोई न कोई वर्दी (यूनिफॉर्म) मुक़र्रर की जाती है। पुलिस की वर्दी अलग होती है, फौज की अलग होती है। घुड़सवार की वर्दी अलग होती है, और पैदल सेना की अलग। बड़ी फौज और नौसेना की वर्दी भी अलग-अलग होती है। इसी तरह डाक विभाग और रेलवे के कर्मचारियों की वर्दी भी अलग होती है। अधिकारियों और मातहतों की वर्दी भी भिन्न होती है। यह वर्दी इस कदर महत्वपूर्ण मानी जाती है कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के समय वर्दी में नहीं पाया जाता, तो उसे सज़ा दी जाती है।

इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी अपने विभाग की वर्दी की जगह किसी और विभाग की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आता है और यह बात अधिकारियों तक पहुँच जाती है, तो उसे भी ऐसा ही या उससे ज्यादा कड़ा अपराध माना जाता है, जैसे कि बिना वर्दी वाले कर्मचारी का अपराध।

जिस तरह यह बात एक सियासी या हुकूमती व्यवस्था में जरूरी मानी जाती है, उसी तरह यह क़ौमों और मिल्लतों के मामले में भी बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया

और अमेरिका जैसे देश अपने अलग-अलग झंडे, निशान और वर्दी रखते हैं। एक जानकार व्यक्ति आसानी से उनके सैनिकों को अलग-अलग पहचान सकता है। इसी तरह जंग के मैदान और अन्य सियासी या क़ौमी स्थानों पर भी पहचान कायम रहती है।

हर क़ौम और हर मिल्लत अपने निशानों और वर्दी को महफ़ूज़ रखना बेहद ज़रूरी समझती है। कभी-कभी तो इनमें खलल पड़ने से बड़े झगड़े और युद्ध तक हो जाते हैं। किसी हुकूमत के झंडे को गिरा दीजिए, उसका अपमान कर दीजिए या उसे कहीं से उखाड़ दीजिए, देखिए किस तरह युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है।

वर्दी और निशान सिर्फ़ लिबास में ही नहीं होते, बल्कि कभी-कभी यह शारीरिक निशानों में भी दिखते हैं। कुछ क़ौमें अपने हाथ या शरीर पर गुदना (टैटू) गुदवाती हैं। कुछ में कान या नाक छिदवाकर उसमें अंगूठी डालने की रिवायत होती है। कुछ बालों को बनाए रखते हैं, तो कुछ सिर पर चोटी रखते हैं। यह अलग-अलग विभागों, क़ौमों और हुकूमतों की पहचान का तरीका होता है।

अगर यह व्यवस्था न हो, तो कोई विभाग, हुकूमत या क़ौम दूसरी से अलग पहचान नहीं रख सकेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति सैनिक है, सिविल कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है या डाक विभाग का कर्मचारी है? इसी तरह, हम कैसे जानेंगे कि यह व्यक्ति रूसी है या फ्रांसीसी, अमेरिकी है या ऑस्ट्रेलियाई? हर दौर और हर मुल्क में इसकी अहमियत समझी गई है और समझी जाती है।

(ब) जो क़ौम या मुल्क अपने वर्दी और निशान की हिफाज़त नहीं करता, वह बहुत जल्दी किसी दूसरी क़ौम में

समा जाता है। यहां तक कि उसका नामोनिशान तक मिट जाता है। इस हिंदुस्तान में यूनानी आए, अफगान आए, आर्य आए, तातार, तुर्क, मिस्री और सूडानी आए। लेकिन मुसलमानों से पहले जो भी क़ौमें आईं, आज उनमें से किसी भी क़ौम की अलग पहचान नहीं बची।

वे सब हिंदू क़ौम में समा गए, क्योंकि उन्होंने बहुसंख्यक क़ौम की वर्दी और रिवायतें अपना लीं। उनकी वर्दी, धोती, साड़ी और दूसरे तौर-तरीकों में ढल गई। इसीलिए उनकी पहचान खत्म हो गई। चाहे उनके अक़ीदे अलग हों, लेकिन उन्हें सब हिंदू क़ौम का हिस्सा ही समझा जाता है। जो क़ौमें अपनी पहचान और वर्दी को कायम रख पाईं, वे आज भी अपनी क़ौमी पहचान बनाए हुए हैं।

उदाहरण के तौर पर पारसी क़ौम, जिन्होंने अपनी खास वर्दी को बदलने से इनकार किया। हिंदू राजाओं ने उनके रीति-रिवाजों को बदलने की कोशिश की, उनकी महिलाओं के पहनावे और भाषा पर असर डाला, लेकिन उनकी टोपी (वर्दी का हिस्सा) नहीं बदली। इस वजह से वे आज भी जिंदा और एक अलग क़ौम के तौर पर मौजूद हैं। सिख क़ौम ने अपनी वर्दी में पगड़ी और दाढ़ी को सुरक्षित रखा। आज उनकी क़ौम एक अलग और खास पहचान रखती है।

(ज) हर क़ौम जब भी तरक़्क़ी करती है, तो यह कोशिश करती है कि उसकी वर्दी, उसकी तहज़ीब, उसका मज़हब और उसकी भाषा दूसरों पर ग़ालिब आ जाए।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी देश जो किसी भाषा को नहीं बोलता या शायद अतीत में भी वह भाषा आम जनता की भाषा नहीं थी, फिर भी वह इस बात का

पूरा प्रयास करता है कि अपनी परंपराओं और तौर-तरीकों को न छोड़े। उदाहरण के लिए, उस देश का विधायक, विधानसभा का अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष, उनके समुदाय का कॉलेज, डिप्टी कलेक्टर वगैरह अपनी परंपरागत वेशभूषा जैसे धोती पहनकर और सिर खुला रखकर सभा में आते हैं। जबकि धोती में पायजामे से अधिक कपड़ा खर्च होता है, यह पूरी तरह से पर्दा भी नहीं करता और गर्मी-सर्दी से पूरी तरह से बचाव भी नहीं करता। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद वे पायजामा पहनना स्वीकार नहीं करते, और जनेऊ धारण करना और सिर पर चोटी रखना जरूरी समझते हैं।

यह सब क्या है? अगर यह राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय वेशभूषा नहीं है, तो और क्या है? क्या इसी वजह से वह अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने के तरीके नहीं निकाल रहे हैं?

गुरु नानक और उनके अनुयायियों ने अपनी पहचान को स्थायी बनाने के लिए बाल न काटने, दाढ़ी न कटवाने और लोहे के कड़े पहनने जैसे विशेष नियम अपनाए। आज सिख समुदाय इन परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभाता है। गर्म जलवायु में विभिन्न कठिनाइयों को सहन करने के बावजूद, वे अपने बाल कटवाने या दाढ़ी काटने को स्वीकार नहीं करते। अगर वे इन चीजों को छोड़ दें, तो उनकी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समुदाय का स्थायी अस्तित्व केवल तभी बना रह सकता है जब वह अपनी विशिष्टताओं को अपने पहनावे, रहन-सहन, संस्कृति, भाषा और कर्मों में बनाए रखे। इसलिए यह आवश्यक था कि इस्लाम धर्म, जो अपनी मान्यताओं, नैतिकताओं और कर्मों में दुनिया के सभी धर्मों और समुदायों से श्रेष्ठ है, अपनी विशेष पहचान और वेशभूषा (यूनिफॉर्म) को स्थापित करे। इसके संरक्षण को राष्ट्रीय और धार्मिक संरक्षण समझा जाए, और इन्हें बनाए रखने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए जाएं।

यह वेशभूषा और पहचान अल्लाह ने हमें दी है, ताकि उसके बंदे दूसरे समुदायों और अल्लाह के दुश्मनों से अलग दिखें। इसी कारण से कहा गया है "जो किसी समुदाय की नकल करेगा, वह उसी

में गिना जाएगा।" (हदीस)।

इसी आधार पर पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.) ने अपने अनुयायियों के लिए खास वेशभूषा का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए, यह कहा गया कि हमारी और बुत पूजने वालों की पहचान टोपियों पर बांधे जाने वाले पगड़ी से अलग होती है।

"हम और बुत पूजने वालों के बीच का अंतर यह है कि हम अपनी टोपियों पर पगड़ी बांधते हैं।" (हदीस)

इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों से अलग दिखने के लिए मांग निकालने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, धोती और पायजामे को अलग-अलग तरीके से पहनने की हिदायत दी गई, ताकि पहचान स्पष्ट हो सके।

इस्लाम के कई आदेशों में इस प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जो यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों और मूर्तिपूजकों से अलग पहचान बनाने के लिए दिए गए हैं। इसी कारण पुरुषों और महिलाओं को उनकी विशेष वेशभूषा में अलग-अलग रहना अनिवार्य किया गया। पुरुषों के वेश में रहने वाली महिलाओं और महिलाओं के वेश में रहने वाले पुरुषों पर लानत भेजी गई।

इन्हीं बातों में से अरबी भाषा में खुतबा (भाषण) देना भी शामिल है। इसी में मूंछों को कतरने और दाढ़ी बढ़ाने का आदेश भी है।

"मूर्तिपूजकों के खिलाफ जाओ, मूंछों को काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ।" (सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी)

"मूंछें कतर दो और दाढ़ी को बढ़ाओ। पारसियों से अलग रहो।" (मुस्लिम)

"जो अपनी मूंछों को नहीं काटता, वह हमारा नहीं है।" (हदीस)

इन हदीसों से पता चलता है कि उस समय मूर्तिपूजक और पारसी दाढ़ी को काटते थे और मूंछों को बढ़ाते थे। आज भी ईसाई और हिंदू समुदाय यही करते हैं। यह उनके विशेष प्रतीकों में से एक था। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि मुसलमानों को इसके विपरीत वेशभूषा अपनाने का आदेश दिया जाए।